कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक बॉसवाडा

दिनांक :— 08.01.2020

सूचना

माध्यमिक शिक्षा विभाग में तृतीय वेतन श्रृखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सीधी भर्ती वर्ष 2018 की काउन्सलिंग दिनांक 10 जनवरी 2020 को

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश क्रमांक शिविरा — माध्य / संस्था/ एफ—1/12102/ सी.भ./शाशि ग्रेड ।।। /2017—18 दिनांक 27.11.2019 एवं 07.01.2020 के अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग (परामर्श) का आयोजन दिनांक 10.01.2020 को प्रातः 9 बजे से राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नई आबादी बांसवाडा में आयोज्य हैं।

काउन्सलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजो के मिलान हेतु मुल समस्त दस्तावेज, स्वयं का (दो) पासपोर्ट साईज फोटो एवं फोटो युक्त पहचान पत्र एवं सम्बन्धित मुल दस्तावेज एवं प्रति लेकर आवें।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में काउन्सलिंग से पूर्व रू. 50/— के नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र काउंसलिंग से पूर्व प्रस्तुत करेंगे कि यदि इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाये गये तो उनका चयन निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कानुनी कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

काउन्सलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियो की सूची व रिक्त पदों की सूची कार्यालय के नोटीस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी हैं। साथ ही विभागीय पोर्टल raj.smsa.nic.in पर उपलब्ध हैं।

नोट :— काउसंलिंग मे वरियता अनुसार जिन अभयर्थियों ने पूर्व में दिनांक 04.12.2019 को भाग लिया एवं परामर्श शिविर में पदस्थापन हेतु विद्यालय का चयन हेतु विकल्प पत्र अपने इच्छित स्थान के लिए प्रस्तुत कर दिया है उन अभ्यर्थियों को पुनः शिविर में उपस्थित नही होना है।

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड—।।। भर्ती वर्ष 2018 में चयनित अभ्यर्थीयों के पदस्थापन हेतु काउन्सलिंग कार्यक्रम
दिनांक 10.01.2020
काउन्सलिंग स्थल — राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नई आबादी बॉसवाडा

परामर्श कार्यक्रम — दिनांक 10.01.2020

पंजीयन — प्रातः 9 से 10

मुल दस्तावेज जॉच कार्य एवं

पदस्थापन परामर्श(काउन्सलिंग) — प्रातः 10.00 बजे से

निर्धारित समय पर जिन्होने पंजीयन नहीं कराया हैं उनकी काउन्सलिंग पंजीकृत अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग के उपरान्त होगी।

अनुपस्थित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग उपरान्त शेष रहे रिक्त पदों में से पदस्थापन आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

नोट :— काउन्सलिंग हेतु अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य का प्रवेश वर्जित होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक बांसवाडा

प्रतिलिपि — जनहित में संभाग के जिले बांसवाडा, डूंगरपुर एवं उदयपुर में प्रकाशनार्थ

1. श्रीमान् जनसम्पर्क अधिकारी सूचना केन्द्र बांसवाडा
2. संपादक महोदय ....
3. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक बांसवाडा